13.5.24	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट उपस्थित प्रकरण मे अपीलान्ट की बहस सुनी गई अपील अपीलान्ट की स्वीकार कि जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिख जाकर शामील पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज.
पीठासीन अधिकारी-मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

अपील संख्या ::– 5/2022

पप्पू उर्फ परमानन्द पिता मांगीलाल नाई निवासी माण्डना तह0 बेगूँ
अपीलान्ट

बनाम

1– गोपाल पिता मांगीलाल जाति नाई निवासी माण्डना तह0 बेगूँ

2– चांद देवी पिता मांगीलाल जाति नाई निवासी माण्डना हाल मुकाम पति ओमप्रकाश सैन निवासी मानपुरा (बोरदिया) तह0 सिंगोली जिला नीमच (म0प्र0)

3– सम्पति पिता मांगीलाल जाति नाई निवासी माण्डना हाल मुकाम पति शांतिलाल नाई निवासी आरोली तहसील बिजालिया जिला भीलवाडा

4– कंचनबाई पति मांगीलाल जाति नाई निवासी माण्डना तह0 बेगूँ

5– सरपंच ग्राम पंचायत सुवाणिया प0स0 बेगूँ जिला चितौडगढ़
रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :– श्री विजय प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता अपीलान्ट

आदेश दिनांक :–13.05.2024

आदेश अपील नामान्तरण संख्या 516 ग्राम माण्डना ग्राम पंचायत सुवाणिया तहसील बेगूँ निर्णय दिनांक 27.12.2010

अपीलान्ट की ओर से अपील पत्र अधिवकता श्री विजय प्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन अपील पत्र में इस प्रकार से किया कि मौजा माण्डना पटवार मण्डल सुवाणिया तहसील बेगूँ के संवत 2064 से 67 के खातेदार मांगीलाल पिता देबीलाल नाई की विरासत से अधिनस्थ न्यायालय गाम पंचायत सुवाणिया तह0 बेगूँ द्वारा जो नामान्तरण संख्या 516 जो निर्णय दिया गया है वह विधि विरूद्ध होकर निष्प्रभावी है व खारिज होने योग्य है।

यह कि मौजा माण्डना पटवार मण्डल सुवाणिया तहसील बेगूँ के सम्वत 2064 से 67 के खातेदार मांगीलाल पिता देबीलाल नाई की विरासत से अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सुवाणिया तह0 बेगूँ द्वारा जो नामान्तरण संख्या 516 खातेदार मृतक मांगीलाल पिता देबीलाल नाई जी की विरासत से उनके विधिक उत्तराधिकारियो के नामा नामान्तरण किया गया जिसमें प्रार्थी पप्पू उर्फ परमानन्द का नाम केवल बोलता हुआ नाम पप्पू दर्ज कर जो कानून व विधि विपरित है क्यो कि प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेज जिनमें राशन कार्ड , सहकारी किसान कार्ड, बैंक खाता पास बुक आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड में अपीलान्ट का नाम परमानन्द पुत्र मांगीलाल अंकित है। इस प्रकार उक्त नामान्तरण प्रारम्भ से ही शुन्य है।

यह कि मांगीलाल पिता देबीलाल नाई मृतक की मृत्यु के पश्चात उनके विधिक उत्तराधिकारियो के नाम नामान्तरण किया गया उसमें अपीलान्ट का बोलता हुआ नाम पप्पू दर्ज कर दिया गया जवकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम परमानन्द है। मृतक मांगीलाल पिता देबीलाल नाई जी का विरासत का नामान्तरणकरण संख्या 516 में अपीलान्ट का नाम पप्पू दर्ज कर दिया गया जिसमें उक्त नामान्तरण कानून विरूद्ध होकर खारिज होने योग्य है।

यह कि मृतक मांगीलाल पिता देबीलाल नाई जी के वारिसान में पप्पू व परमानन्द अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति पप्पू उर्फ परमानन्द के रूप में है तथा ग्राम माण्डना में प्रार्थी/अपीलान्ट के अलावा इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। इसलिए ग्राम पंचायत सुवाणिया द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट का नाम केवल पप्पू पिता मांगीलाल दर्ज कर दिये जाने से उक्त विरासत का नामान्तरकरण अपने आप में शुन्य एवं खारिज होने योग्य है।

यह कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने दिनांक 17.06.2022 को उक्त खाते की नकल जमाबंदी प्राप्त की तो उक्त नामान्तरण की जानकारी हुई जिसकी नकल दिनांक 17.06.2022 को प्राप्त होने से अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत है तथा दिनांक 27.12.2010 से दिनांक 17.06.2022 तक की व्यतीत अवधि को क्षमा किये जाने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत हैं।

यह कि प्रार्थी/अपीलान्ट उक्त कृषि आराजीयात के मौजा माण्डना के आराजी संख्या 483 से लगायत 486, 623/487 किता 5 रकबा 1.5140 हैक्टर भूमि एवं असाराजी संख्या 501 कुल किता 1 रकबा 0.0650हैक्टर इसी ग्राम के आराजी संख्या 477 कुल किता 0.8570 हैक्टर भूमि में अपना नाम पप्पू उर्फ परमानन्द पिता मांगीलाल दर्ज करवाने का अधिकारी होने से यह अपील

नामान्तरण प्रस्तुत है। यह कि प्रार्थी/अपीलाण्ट का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होने से अपील श्रीमान में प्रस्तुत है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम माण्डना पटवार हल्का सुवाणिया तह0 बेगूँ के नामान्तरण संख्या 516 निर्णय दिनांक 27.12.2010 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें। एवं मृतक मांगीलाल पिता देबीलाल नाई के उत्तराधिकारी पप्पु का नाम पप्पू उर्फ परमानन्द दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपील अपीलान्ट की न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया , रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 5 तक बावजूद सूचना के न्यायालय मे उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफमा कार्यवाही किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलान्ट की एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रकरण में अधिवक्ता अपीलान्ट की एकतरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस अपील पत्र के अनुसार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलान्ट का नाम परमानन्द है पंचायत ने नामान्तरण खोला तो नाम पप्पू कर दिया, जिसे परिवर्तन करवाकर पप्पू उर्फ परमानन्द कर दिया जावें। साथ ही अधिवक्ता ने अपील पत्र में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किये जाने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट की एक तरफा बहस सुने जाने के उपरान्त हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया,नकल नामान्तरण संख्या 16 जो कि खातेदार मांगीलाल के फोत होने से विरासत के लिए खोला गया है जिसमें मृतक मांगीलाल के उत्तराधिकारी गोपाल चांददेवी कंचन पप्पु सम्पती के नाम उक्त नामान्तरण खोला जाकर ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया है। आयकर विभाग के कार्ड में परमानन्द सेन पिता मांगीलाल अंकित किया हुआ है। आधार कार्ड में भी प्रार्थी अपीलान्ट का नाम परमानन्द सेन पिता मांगीलाल अंकित हैं। भारत निर्वाचन आयोग कार्ड मे परमानन्द पिता मांगीलाल अंकित है। परिवार राशनकार्ड भी परमानन्द पिता मांगीलाल सेन के नाम पर है। बैंक पासबुक में नाम अंकित है। प्रस्तुत नकल जमाबंदी में खोले गये नामान्तरण अनुसार पप्पू अंकित किया हुआ है। अधिवकता अपीलान्ट की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर यह तथ्य सामने आते है कि मृतक खातेदार मांगीलाल के वारिसान में अपीलान्ट का पूर्णनाम परमानन्द सेन है जबकि उन्हें गॉव में बोलचाल की भाषा में पप्पू बोला जाने से नाम की सही जॉच नहीं करते हुए उक्त विरासत का नामान्तरण खोला जाना प्रतीत होता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा भी न्यायालय में उपस्थित आकर इस अपील पत्र का खण्डन नहीं किया है, दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार नाम शुद्ध किया जाना हम न्यायसंगत समझते है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, ग्राम माण्डना पटवार हल्का सुवाणिया तह0 बेगूँ के नामान्तरण संख्या 516 निर्णय दिनांक 27.12.2010 को निरस्त किया जाता है। एवं मृतक मांगीलाल पिता देबीलाल नाई के उत्तराधिकारी पप्पु का नाम पप्पू उर्फ परमानन्द पुत्र मांगीलाल सेन दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। नियमानुसार सही नाम अंकित कर नामान्तरण खोला जाने का निर्देश तहसीलदार बेगूँ को दिया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती हैं।
आदेश आज दिनांक 13.05.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी,बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2024/ 278 दिनांक :-30/5/2024

अपील संख्या 5/2022 व अनवान पप्पू उर्फ परमानन्द बनाम गोपाल व अन्य अपील नामान्तरण में न्यायालय के आदेश की पालनार्थ प्रति दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी,बेगूँ